न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0
पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजु शर्मा ,आर.ए.एस.

दिनांक 30.12.2021

प्रकरण संख्या– 02/2021 प्रार्थना पत्र

अनवान

देवी पत्नि रतनलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डला चारण तहसील निम्बाहेड़ा

---प्रार्थीया

बनाम

1. भेरू पिता खुराज रेगर उम्र वयस्क निवासी देवडा पिपली तहसील भदेसर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़ (राज)

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित– श्री मोहम्मद रईस वकील प्रार्थीया

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

कि मौजा ग्राम लक्ष्मीपुरा, पटवार हल्का बानसेन तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 11 में अंकित आराजी नम्बर 279 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ.नं. 280 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ.नं. 281 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर आराजीयात प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2076 एवं नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चली आ रही है तथा इस पर आने जाने, कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये पास ही स्थित विपक्षी सं0 1 की आ0नं0 477/273 रकबा 0.29 हैक्टेयर कृषि भूमि की मेड पर बने कदीमी रास्ते से होकर आते जाते है और इसी रास्ते से अपनी आराजीयात पर बेलगाडी,कृषि उपकरण आदि लाती ले जाती रही है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास उक्त आराजीयात पर जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। लेकिन नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को उनकी आराजीयात पर आने जाने से रोक दिया है । प्रार्थीया के पास विपक्षीगण की आराजी के कदीमी रास्ते के अलावा अन्य कोई [illegible] पर आने जाने का नहीं है और प्रार्थीया का अपनी आराजीयात पर जाकर कृषि [illegible] रहा है। प्रार्थीया की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिए [illegible] रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

रास्ता नहीं है। इसलिये विपक्षी सं0 1 की कृषि भूमि की मेड पर बने कदीमी रास्ते को आराजी नं0 अंकित कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायमी हेतु पेश है। प्रार्थीया सरकारी मापदण्डानुसार डीएलसी दर से रास्ते की भूमि की कीमत विपक्षी सं. 01 को अदा करने को तेयार एवं तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की खाता संख्या 11 में अंकित आराजी नम्बर 279 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ.नं. 280 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ.नं. 281 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी सं0 1 की आ0नं0 477/273 रकबा 0.29 हैक्टेयर कृषि भूमि की मेड पर बने कदीमी रास्ते की भूमि के आराजी नम्बर अंकित कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। पैरोकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार भदेसर को मौका कमीशनरी नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। भू0अभि0निरीक्षक बानसेन द्वारा कमीश्नरी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई जो बिंदुवार इस प्रकार है :–

1. प्रार्थीया एवं गांव के मौतबिरान अनुसार प्रार्थीया की प्रश्नगत आराजी पर आवागमन हेतु अब तक ग्राम से आराजी नम्बर 477/273 रास्ते से विपक्षी भेरू पिता खुराज रेगर में से होकर पूर्वी दिशा मेड़ के सहारे आते जाते है।
2. प्रार्थीया की प्रश्नगत आराजीयात पर पहुँचने हेतु रिकार्ड अनुसार कोई भी सरकारी व अन्य रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थीया की आराजी पर पहुँचने पर विपक्षी की आराजी ही निकटतम सुगम मार्ग है।
3. प्रार्थीया की आराजीयात पर पहुँचने हेतु अन्य कोई रिकार्डेड या कदीमी रास्ता नहीं है।
4. प्रार्थीया की आराजी पर पहुँचने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं होकर विपक्षी की आराजीयात में से 4 मीटर चौडा एवं 16 मीटर लम्बा कुलिया 64 वर्गमीटर रास्ता पूर्वी मेड पर सीमा के सहारे प्रस्तावित है।
5. प्रार्थीया की आराजी तक रास्ते में प्रयुक्त होने वाली कुल भूमि 64 वर्गमीटर भूमि डी0एल0सी0 की दुगनी दर से जमा कराने पर रास्ता दर्ज किया जाना उचित है ।

बहस सुनी गई। लायक अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर [illegible] हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षी सं. 01 की आराजीयात [illegible] है इसके अतिरिक्त अन्य कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीया की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज खाता संख्या 11 में अंकित आराजी नम्बर 279 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ.नं. 280 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ.नं. 281 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु मार्ग का अभाव होने से विपक्षी सं. 01 की आराजी नम्बर 477/273 की पूर्वी मेड पर होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है,प्रार्थीया आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहती है ।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है । खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया की आराजी नम्बर 279, 280, 281 पर पहुंचने के लिए विपक्षी सं. 01 की आराजी नम्बर 477/273 में से 4*16=64 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड पर प्रार्थीया की आराजी तक कुल 64 वर्गमीटर भूमि का रास्ते हेतु उपयोग होना कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मदसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

ग्राम लक्ष्मीपुरा, पटवार हल्का बानसेन तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 11 में अंकित आराजी नम्बर 279 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ.नं. 280 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ.नं. 281 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि पर रेकोर्डेड मार्ग नहीं होकर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की विपक्षी सं. 01 की आराजी नम्बर 477/273 में से 4*16=64 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड के सहारे 4 मीटर चोडा रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात तक भूमि प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

2. रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार (रूपये प्रति एयर से)कीमत मूल्याकंन की दुगुनी राशि प्रार्थीया से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा।

3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थीया का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीया को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार (रूपये प्रति एयर से)कीमत मूल्याकंन की दुगुनी राशि प्रार्थीया से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को क्षतिपूर्ति हेतु वसूल किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:53 IST
Reason: SelfAttested

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner